


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 62/2024 बउनवानी घनश्याम हरिजन बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री बाबूलाल हरिजन निवासी ग्राम शेषा तहसील मलारना डूंगर
GCMS No-2024/155

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "प्रार्थी के पिता बाबूलाल पुत्र नानगा हरिजन को ग्राम दिवाडा में आवंटित भूमि ख0न0 1494/5 आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1979, कब्जा रिपोर्ट, नई पुरानी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सहित जमा करवायी राशि 375 रु की रसीद की सूचना सहित कुल 5 बिन्दुओं की सूचना" उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयवधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: सूकाअ/2024/1767 दिनांक 23.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2024 में चाही गयी सूचना का संबंध जिला अभिलेखागार से होने के कारण उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जिला अभिलेखागार को अन्तरित किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचनाओं में से आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1979 मय कब्जा रिपोर्ट सहित सम्पूर्ण आवंटन पत्रावली की प्रमाणित जिला अभिलेखागार के रिकार्ड कीपर द्वारा जरिये पत्रांक 317 दिनांक 14.11.2024 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है।</p> <p>अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन है कि उक्त आवंटित भूमि के नामा0 की नकल दिलवायी जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 11.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचनाओं में से आवंटन आदेश दिनांक 13.6.1979 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को, जिला अभिलेखागार के रिकार्ड कीपर द्वारा जरिये पत्रांक 317 दिनांक 14.11.2024 को भिजवायी जा चुकी है। जहाँ तक आवंटित भूमि के नामा0 की नकल का प्रश्न है तो उक्त सूचना के संबंध में तहसीलदार मलारना डूंगर के पत्रांक 8020 दिनांक 5.11.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;">  (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </p>

